न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 35/2016 – आ0नि0

1. हीरालाल पुत्र लादू लाल गुर्जर 2. चावण्डराज पुत्र रामेश्वर लाल गुर्जर 3. सांवरलाल पुत्र रामलाल गुर्जर निवासीयान सणगारी तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा	बनाम	1. महावीर पुत्र देवीलाल जाट निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री आदित्य नारायण अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 01 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.05.1989 को ग्राम सणगारी, तहसील फुलियाकलां में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 मी0 में से 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया, जबकि आवंटनशुदा आराजी भू भाग में प्रार्थीगण के बाडे व मकान बने हुए है। आराजी नम्बर 61–62 के नवीन बन्दोबस्त विभाग ने सेटलमेण्ट ऑपरेशन के समय नवीन खसरा नम्बर 75 रकबा 11.60 हैक्ट. कायम किया गया जिसमें विपक्षी सं. 01 को आराजी भू भाग के नवीन खसरा नम्बर 491/75 रकबा 1.2600 हैक्ट. कायम होकर राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकित किया गया। साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 मी0 मे आवंटी को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही कर मात्र कागजों में कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटी ने आवंटनशुदा भूमि में किसी भी वर्ष काश्त नहीं की, जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) में भू आवंटन के प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर कृषि किया जाना आवश्यक हैं तथा अगले वर्ष में संपूर्ण आवंटनशुदा आराजी भू भाग में काश्त किया जाना आवश्यक हैं, लेकिन आवंटी ने अब तक किसी भी वर्ष काश्त न कर आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया गया हैं। विपक्षी सं.01 ने वक्त भू आवंटन के आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष इन तथ्यों को छिपाया कि मौके पर वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के बाडे व मकान बने हुए होकर उनके कब्जे व स्वामित्व में चले आ रहे है। आवंटनशुदा भूमि के लिए नियमों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने पर काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के उपनियम 9 के अन्तर्गत ऐसे खातेदारी भूमि के आवंटन को निरस्त करने की व्यवस्था उक्त नियमों में दी गयी है। आवंटी वक्त भू आवंटन के कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन कराने की पात्रता भी नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

रखता था। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर विपक्षी नम्बर 01 को भू. आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.05.1989 को ग्राम सणगारी, तहसील फुलियाकलां में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 में कृषि प्रयोजन हेतु किया गया भू आवंटन जिसके नवीन बन्दोबस्त के दौरान कायम किये गये खसरा नम्बर 491/75 रकबा 1.2600 हैक्ट. भूमि आवंटन को निरस्त किया जाकर सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए भूमि आबादी विकास हेतु आवंटन करायी जावे अथवा प्रार्थीगण के द्वारा निर्मित मकान को नियमित कराने के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2016 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी सं. 01 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.05.1989 को ग्राम सणगारी, तहसील फुलियाकलां में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 मी0 में से 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया, जबकि आवंटनशुदा आराजी भू भाग में प्रार्थीगण के बाडे व मकान बने हुए है। आराजी नम्बर 61–62 के नवीन बन्दोबस्त विभाग ने सेटलमेण्ट ऑपरेशन के समय नवीन खसरा नम्बर 75 रकबा 11.60 हैक्ट. कायम किया गया जिसमें विपक्षी सं. 01 को आराजी भू भाग के नवीन खसरा नम्बर 491/75 रकबा 1.2600 हैक्ट. कायम होकर राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकित किया गया। साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 मी0 मे आवंटी को भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही कर मात्र कागजों में कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटी ने आवंटनशुदा भूमि में किसी भी वर्ष काश्त नहीं की, जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) में भू आवंटन के प्रथम वर्ष में आधे भू भाग पर कृषि किया जाना आवश्यक हैं तथा अगले वर्ष में संपूर्ण आवंटनशुदा आराजी भू. भाग में काश्त किया जाना आवश्यक हैं, लेकिन आवंटी ने अब तक किसी भी वर्ष काश्त न कर आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया गया हैं। विपक्षी सं.01 ने वक्त भू आवंटन के आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष इन तथ्यों को छिपाया कि मौके पर वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के बाडे व मकान बने हुए होकर उनके कब्जे व स्वामित्व में चले आ रहे है। आवंटनशुदा भूमि के लिए नियमों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने पर काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के उपनियम 9 के अन्तर्गत ऐसे खातेदारी भूमि के आवंटन को निरस्त करने की व्यवस्था उक्त नियमों में दी गयी है। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर विपक्षी नम्बर 01 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.05.1989 को ग्राम सणगारी, तहसील फुलियाकलां में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 61–62 में कृषि प्रयोजन हेतु किया गया भू आवंटन जिसके नवीन बन्दोबस्त के दौरान कायम किये गये खसरा नम्बर 491/75 रकबा 1.2600 हैक्ट. भूमि आवंटन को निरस्त किया जाकर सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए भूमि आबादी विकास हेतु आवंटन करायी जावे अथवा प्रार्थीगण के द्वारा निर्मित मकान को नियमित कराने के आदेश प्रदान कराया जावे।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

बताया कि विपक्षी सं. 01 आवंटित आराजी पर काबिज होकर करीब 30 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण और विपक्षी सं. 01 एक ही गांव के होने से प्रार्थीगण को विपक्षी सं. 01 के कब्जे काश्त एवं आवंटन की शुरू से ही जानकारी हैं। प्रार्थी सं. 01, 02 के काका बद्री लाल एवं प्रार्थी सं. 03 के दादा के भाई बद्री लाल ने विपक्षी सं. 01 के आवंटन को निरस्त कराने के लिए विपक्षी सं. 01 के विरूद्व जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के न्यायालय में नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके प्रकरण सं. 39/89 बअनवान रामलाल बनाम महावीर निर्णय दिनांक 16.10.1990 हैं। जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रार्थीगण के परिजन बद्रीलाल का प्रार्थना पत्र खारिज कर विपक्षी सं. 01 का आवंटन बहाल रखने का आदेश प्रदान किया। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थीगण के परिजन बद्रीलाल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका पेश की। जिसके निगरानी सं. 75/1990, जिला भीलवाडा उनवान रामलाल बनाम महावीर निर्णय दिनांक 28.12.1994 हैं। राजस्व मण्डल ने भी निगरानी खारिज की और विपक्षी सं. 01 का आवंटन बहाल रखने का आदेश प्रदान किया। विपक्षी सं. 01 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने पर तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा विपक्षी सं. 01 को आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्रदान किये। पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आवंटी का नाजायज कब्जा चल रहा है। आवंटन के पश्चात् पटवार हल्का द्वारा दिनांक 10.06.1989 को आवंटित आराजी का भौतिक रूप से कब्जा सौंपा गया। अगर आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के मकान व बाड़े होते तो पटवार हल्का कब्जा सुपुर्दगी के समय बाडे व मकान अवश्य दर्शाते। इस आराजी को लेकर प्रार्थीगण के परिजनों ने पूर्व में भी नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश किया उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आवंटित आराजी पर मकान व बाडे बने हुए हैं। आवंटित आराजी पर अगर मकान, बाडे होते तो वह अपने प्रार्थना पत्र में अवश्य लिखते। विपक्षी सं.01 ने आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना की हैं। प्रार्थना पत्र बेरून मियाद होने से खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। उक्त तथ्यों पर पूर्व में न्यायालय का निर्णय हो चुका हैं तो दुबारा यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त यहां लागू होता हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। खातेदार अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन नियम लागू नहीं होते हैं। डीएनजे. 1999 (2)(राज.) पेज नं. 509 एवं आरआरडी 2016 पेज नं. 163 में यह प्रतिपादित किया गया कि लंबे अंतराल के बाद आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की बदनियति को दर्शाता हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे और विपक्षी सं. 01 का आवंटन बहाल रखा जावे।

निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है –

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्ते–

1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

1. क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।
2. लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से, आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।
3. आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।
3. यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि भूमि आवंटन पत्रावली सं. 537/89 में महावीर पुत्र देवी जाट सा. सणगारी के नाम पर भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम सणगारी तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 61,62 मी. रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 26.05.1989 को आवंटन की गयी। आवंटनशुदा भूमि आवंटी को 10.06.1989 को पटवारी हल्का द्वारा सुपुर्द की गयी। आवंटित भूमि आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने पटवारी हल्का सणगारी के नाम पर जारी कर पटटा जारी किया।

श्री रामनाथ पिता माधु गुर्जर सा. सणगारी बद्रीलाल पिता हरचन्द्र गुर्जर सा. सणगारी ने भी पूर्व में प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का महावीर पिता देवी जाट सा. सणगारी के विरूद्व न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा में प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण सं. 39/89 आ. नि. दर्ज होकर दिनांक 16.10.1990 को निर्णित हुआ। जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर विपक्षी को किया गया आवंटन यथावत रखा गया।

प्रार्थीगण रामनाथ गुर्जर वगैरह ने निर्णय दिनांक 16.10.1990 के विरूद्व निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज करायी जिसमें निगरानी प्रकरण सं. /एलआर/75/90 निर्णय दिनांक 28.12.1994 से निगरानी खारिज कर दी गयी।

विपक्षी के नाम आवंटित भूमि वर्तमान में खातेदारी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षी के नाम आवंटित भूमि आराजी नं. 61, 62 मी. रकबा 5 बीघा भूमि के संबंध में पूर्व में भी अन्य व्यक्तियों द्वारा 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विपक्षी के नाम पर आवंटित आराजी नं. 61, 62 मी. रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के बाडे व मकान बने होने से एवं आवंटित भूमि विपक्षी को मौके पर सुपुर्द नही किये जाने और विपक्षी भूमि आवंटन की पात्रता नही रखने से प्रार्थीगण ने विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र 14(4) का प्रस्तुत किया, इसके साथ ही निवेदन किया कि नियम विरूद्ध भूमि आवंटन के खातेदारी दर्ज हो जाने पर भी खातेदारी को आर.टी.ए. की धारा 63 के उपनियम 9 के अन्तर्गत आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण ने उपरोक्त नये तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी को भू आवंटन सलाहकार समिति ने विधिवत् प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटित भूमि का पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिया जाकर सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी के नाम आवंटित भूमि आराजी नं. 61, 62 मी. रकबा 5 बीघा भूमि पर अपने बाड़े व मकान निर्मित होना बताया लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। पूर्व में भी श्री रामनाथ पिता माधु गुर्जर सा. सणगारी वगैरह ने विपक्षी महावीर पुत्र देवीलाल जाट निवासी सणगारी तहसील फुलियाकलां के विरूद्व 14(4) का प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 39/89 में सुनवाई कर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.10.1990 से विपक्षी के भूमि आवंटन को यथावत रखा गया। विपक्षी के नाम किया गया भूमि का आवंटन फॉड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन होने संबंधी प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी, जिससे विपक्षी के नाम आवंटित भूमि के खातदोरी दर्ज हो से प्रार्थना पत्र 14(4) पर कार्यवाही नही की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को संप्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा